क्रम-संख्या —251

रजि० नं० एल. डब्लू. /एन. पी. 890

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०–41

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 6 सितम्बर, 2002
भाद्रपद 15, 1924 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायी अनुभाग—1

संख्या 1660/सत्रह–वि–1—1(क) 20-2002
लखनऊ, 6 सितम्बर, 2002

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2002 पर दिनांक 5 सितम्बर, 2002 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 2002 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 2002

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 2002)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 2002 कहा जायगा।

(2) यह 10 जुलाई, 2002 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1964 की धारा 26-ख का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 26-ख में, उपधारा (1) में, खण्ड (च-3) में शब्द, "राज्य कृषि विपणन अधिकारी, उत्तर प्रदेश" के स्थान पर शब्द "निदेशक, कृषि विपणन, उत्तर प्रदेश" रख दिये जाएंगे।

निरसन और अपवाद

3—(1) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 2002 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 13 सन् 2002

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
ए० बी० शुक्ला,
प्रमुख सचिव।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1964) की धारा 26-ख में राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् के गठन की व्यवस्था है। उक्त धारा की उपधारा (1) के खण्ड (च-3) में यह व्यवस्था की गयी थी कि राज्य कृषि विपणन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, उक्त परिषद् का सदस्य होगा। सरकारी आदेश दिनांक 28 जून, 1991 द्वारा कृषि निदेशालय का पुनर्गठन किये जाने के फलस्वरूप उक्त राज्य विपणन अधिकारी का पद अस्तित्व में नहीं रह गया था। अतएव, यह विनिश्चय किया गया कि उक्त अधिनियम को संशोधित करके उक्त राज्य कृषि विपणन अधिकारी, के स्थान पर निदेशक, कृषि विपणन, उत्तर प्रदेश को उक्त परिषद् का सदस्य बनाया जाय।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 10 जुलाई, 2002 को उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 2002 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 13 सन् 2002) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

No. 1660 (2)/XVII-V-1—1(KA) 20-2002
Dated Lucknow, September 6, 2002

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2002 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 7 of 2002) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 5, 2002.

THE UTTAR PRADESH KRISHI UTPADAN MANDI (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2002

(U.P. Act No. 7 of 2002)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-third Year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2002.

(2) It shall be deemed to have come into force on July 10, 2002.

Amendment of section 26-B of U.P. Act no. 25 of 1964

2. In section 26-B of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (1), in clause (f-3) *for* the words "the State Agricultural Marketing Officer, Uttar Pradesh", the words "the Director, Agricultural Marketing, Uttar Pradesh" shall be *substituted*.

U.P. Ordinance no. 13 of 2002

Repeal and saving

3. (1) The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi (Sanshodhan) Adhyadesh, 2002 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,

A.B. SHUKLA,

Pramukh Sachiv.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 26-B of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964 (U. P. Act no. XXV of 1964) provides for the constitution of the State Agricultural Produce Markets Board. Clause (f-3) of sub-section (1) of the said section provided that the State Agricultural Marketing Officer, Uttar Pradesh should be the member of the said Board. Due to the reorganisation of the Agricultural Directorate by Government Order dated June 28, 1991 the post of the said State Agricultural Marketing Officer did not exist.

It was, therefore, decided to amend the said Act to provide for making the Director, Agricultural Marketing Uttar Pradesh, to be the member of the said Board in place of the said State Agricultural Marketing Officer.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi (Sanshodhan) Adhyadesh, 2002 (U. P. Ordinance no. 13 of 2002) was promulgated by the Governor on July 10, 2002.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

पी० एस० यू० पी०–ए० पी० 549 राजपत्र (हि०)—(1288)—2002—597—(कम्प्यूटर/आफसेट)।

पी० एस० यू० पी०–ए० पी० 162 सा० विधायी—(1289)—2002—850—(कम्प्यूटर/आफसेट)।